अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), डोड़ाघाट ललितपुर।

Phone No. :- 05176-276732
Email Add.:- pmjalltp@gmail.com

पत्रांक 3145 / W-27 / 144 दिनांकः-30, 12- 2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर।

विशय :- **Diversion of 8.161809 Hectare forest land for laying of Drinking water distribution pipeline (Total 96.30 km) under Jakhlaun Birdha, Dhorra Balabehat, Kadesara Kalan and Mau Group of village water supply scheme, District-Lalitpur (U.P.).**

Praposal No. – FP/UP/Water/155091/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 2050 / 13-1 ललितपुर दिनांक 06.12.2022 एवं पत्रांक 2158 / 13-1 ललितपुर दिनांक 09.12.2022 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्ताव सं0 FP/UP/Water/155091/2022 हेतु 6.14 हे0 वन भूमि, जो अतिक्रमण मुक्त एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो, को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ललितपुर के पत्रांक 645 / आठ-एल0ए0सी-पुर्न0 (2022-23) दिनांक 28.12.2022 द्वारा 6.14 हे0 वन भूमि तहसील तालबेहट ब्लॉक जखौरा ग्राम कारीपहाडी में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण संलग्न कर प्रेषित है। कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

30/12/22

(अवनीश सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षण / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।
3– वन संरक्षण / क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी।
4– जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
5– अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, ललितपुर।
6– टीम लीडर, पी0एम0सी, ललितपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उक्त प्रस्ताव उचित माध्यम से भारत सरकार को भिजवाने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता

आदेश

शासनादेश संख्या–258/सी0–1/16(1)–73 दिनांक 05.03.1994 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–35/740/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै आलोक सिंह, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05.03.1994 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन मे निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:–प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	तालवेहट	बांसी	कारी पहाडी ग्राम सभा कारी पहाडी	192/4	6.140हे0	6–4 पत्थर	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग की प्रभावित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में पुर्नग्रहीत।

(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

संख्या– 645/आठ– एल0ए0सी0–पुर्न0 (2022–23) दिनांक दिसम्बर 28,2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ।
3– सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, अनुभाग–5, लखनऊ।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
5– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।
6– अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), ललितपुर।
7– उप जिलाधिकारी, तालवेहट।
8– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), डोढ़ाघाट, ललितपुर।
9– तहसीलदार, तालवेहट को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराते हुयें नकल खतौनी की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
10– प्रभारी अधिकारी, नजारत कलैक्ट्रेट, ललितपुर को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
11– जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

28/12/22

(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी ललितपुर।